**कार्यालय अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, देहरादून।**

अपील संख्या– 08/2018

अपीलकर्ता– श्री एस0 एल0 व्यास (राष्ट्रीय महासचिव) ऑल इन्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन आई मा पो0बॉ0 नं. 11 फलोदी (जिला जोधपुर) 342301 राजस्थान।

/बनाम

उत्तरदाताः– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय सचिवालय परिसर, देहरादून।

**आदेश**

अपीलकर्ता श्री एस0 एल0 व्यास (राष्ट्रीय महासचिव) ऑल इन्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन आई मा पो0बॉ0 नं. 11 फलोदी (जिला जोधपुर) 342301 राजस्थान के प्रार्थना पत्र दिनांक 15–3–2018 के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या–474 दिनांक 24 मार्च, 2018 द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के पूर्वान्हः 11.00 बजे कार्यालय में उपस्थिति होने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु उक्त तिथि में आप कार्यालय में उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी द्वारा पत्र संख्या– 383 दिनांक 08 मार्च, 2018 द्वारा जो सूचना आपको उपलब्ध करायी गयी है, उससे मैं सन्तुष्ट हूँ।

यदि आप सहमत हों तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार संबंधित अपील का निस्तारण किया जाता है।

(मस्तू दास)
**सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं**
**विभागीय अपीलीय अधिकारी**

पृ0संख्या 524 /XXV–12/2015,दिनांक 06 अप्रैल, 2018.

1– प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

2– प्रतिलिपि श्री एस0 एल0 व्यास (राष्ट्रीय महासचिव) ऑल इन्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन आई मॉ पो0बॉ0 नं. 11 फलोदी (जिला जोधपुर) 342301 राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
**सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं**
**विभागीय अपीलीय अधिकारी**

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724


संख्याः 474 XXV–12/2015 देहरादूनः दिनांक 24 मार्च, 2018.

सेवा में,

श्री एस0 एल0 व्यास (राष्ट्रीय महासचिव)
ऑल इन्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफयर एसोसिएशन
आई मॉ पो0बॉ0 नं0 11
फलोदी (जिला जोधपुर) 342301
राजस्थान।

**विषयः– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपके अपीलीय पत्र दिनांक 15–03–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–383 दिनांक 08 मार्च, 2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से सन्तुष्ट न होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 06 अप्रैल ,2018 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

**पृ0 संख्या– 474/XXV–12/2015 , तद्दिनांकित**

2–प्रतिलिपि श्री बी0एस0 रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

rti 2017

प्रेषक- एस.एल. व्यास % राष्ट्रीय महासचिव प्राप्त 21/3/18
आल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसियेशन,
आईमा भवन माथोरया की ढाल पीन कोड नं.-11, फलौदी-342301 (जोधपुर)
फोन - 8239067024

Ref No - AA & Asst C ele / उत्तराखण्ड /SLV/ UM / 1809-10 Dt 15/3/18
Faladi

To,
श्रीमान विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, Ist माला सुभाष रोड
सचिवालय परिसर देहरादून 248001

प्रतिभावर यक

1809-10
15/3/18

विषय - सं. 383/XXV-12(1-5)/2018 देहरादून दिनांक 8 मार्च 2018 सूचना अधिकार 2005 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत।

महोदय

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि 25 JAN 2017 वोटर्स एसोसिएशन द्वारा 7 वाँ अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर 2 दिवसीय बैठक आयोजित पत्र No-9824-10023/Laid/25 JAN 2017 के बिन्दु 1 से 6 में से 1, 3, 4 व 6 पर क्या कार्यवाही की गई / टिप्पणी सहित लिखवें। पत्र No-311/R-1(2)/2011 दिनांक 18/4/11 के राज्यपाल सचिवालय देहरादून उत्तराखण्ड के आदेश में क्या आदेश किया अपीलीय अधिकारी खुलासा दिरावें।

(2) पत्र No - 4773/R-1(2)(R.T.I.)/ल.प.स.(विविध)/2011 दिनांक 28/Feb./2018 के बिन्दु 1, 2 व 3 का खुलासा कर विधिक न्याय करें। वोटर्स एसोसियेशन के पत्र No - 18068 - 19080 दिनांक 25 जनवरी 2018 (आठवाँ अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर तीन दिवसीय बैठक आयोजित) विषय में पेरा 1 से 6 में से 1, 2, 3 व 4 पर अपने विचार निर्णय राष्ट्रीय हित में दिरावें। वोटर्स पेन्शन मासिक 3000/- Rs लागू करना, राज्यों / देश में। बिन्दु 2 देश भर में 12 Rs में 2 लाख Rs का बीमा भारत सरकार द्वारा किया मृत्यु के बाद किन शर्तों पर भुगतान मिलेगा खुलासा दिरावें 3 व 4 में सहयोग व प्रकाश डाले जनहित में जबाब सन्तोष प्रद दिरावें।

धोरदी कार्यवाही मय विधि न्याय कर शीघ्र सात दिनों में अवगत करावें। अपील प्रस्तुत 8/3/18 के क्रम में। ऊपर के पते पर जवाब दिरावें।

भवदीय

[signature]
(SLVYAS)
8239067024

[signature]
15/3/18

Faladi